(वाद सं0.-6685/4/28/2020)

28.07.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, महादेव सिंह, सेवानिवृत, चौकीदार, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, डिहरी, रोहतास को पेंशन में अनियमितता एवं उसमे सुधार कर पेंशन लागु करने व भुगतान से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **कार्यपालक अभियंता (याँ0),सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, डिहरी, रोहतास** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **कार्यपालक अभियंता (याँ0)सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, डिहरी** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **"श्री महादेव सिंह, सेवानिवृत चौकिदार का सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान करने हेतु महालेखाकार बिहार पटना को इस कार्यालय का पत्रांक 07 दिनांक 07.01.2022 द्वारा भेजा गया। फलस्वरूप महालेखाकार बिहार पटना द्वारा सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन एवं उपादान का संशोधित प्राधिकार पत्र प्राप्त हो चुका है।"**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **कार्यपालक अभियंता (याँ0),सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, डिहरी, रोहतास** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **कार्यपालक अभियंता (याँ0),सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, डिहरी, रोहतास** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–25/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक